कार्यालयः— जिला एवं सेशन न्यायाधीश अजमेर

## रद्दी नीलामी सूचना

दिनांकः— 26/08/25

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस न्यायक्षेत्र के अजमेर/किशनगढ/पुष्कर/सरवाड/केकडी अभिलेखागार में वीडिंगशुदा पत्रावलियों/पुराने अखबार की रद्दी जिसका अनुमानित वजन 30—35 क्विंटल है, की न्यायालय परिसर में दिनांक 25.09.2025 को दोपहर बजे से नीलामी की जावेगी। इच्छुक फर्म/व्यक्ति 3000/— रूपये धरोहर राशि जमा करवाकर बोली में भाग ले सकते है।

शर्ते इस कार्यालय व जिला न्यायालय की वेबसाईट http://ajmer.dcourts.gov.in पर देखी जा सकती है अथवा सूचना प्रकाशन पश्चात् किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय में रेकार्ड शाखा, जिला न्यायालय, अजमेर से प्राप्त की जा सकती है।

अध्यक्ष,
रद्दी नीलामी समिति
पोक्सो एक्ट प्रकरण न. 2 अजमेर

नीलामी की शर्ते निम्न प्रकार होगीः—

1. वीडिंगशुदा कागज, अखबारों की रद्दी खुली नीलामी द्वारा उपस्थित खरीददारों व कमेटी के समक्ष की जावेगी।

2. प्रत्येक बोलीदाता को 3000/— रूपये (अक्षरे तीन हजार रूपये मात्र) धरोहर राषि नीलामी तिथि को नीलामी प्रारंभ होने से पूर्व जमा करवानी होगी। उच्चतम बोली लगाने वाले व्यक्ति द्वारा रद्दी यथासमय प्राप्त नहीं करने पर जमाषुदा धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी एवं उससे क्षतिपूर्ति राशि वसूल की जावेगी। अन्य खरीददारों की यह राषि नीलामी बोली की समाप्ति के पश्चात लौटा दी जावेगी।
3. धरोहर राषि जमा न कराने पर बोलीदाता नीलामी के समय बोली नहीं लगा सकेगा।

4. नीलामी समिति को बिना कारण बताये नीलामी की तिथि स्थगित करने तथा अंतिम बोली स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा।

5. नीलामी प्रति किलोग्राम की दर से की जावेगी एवं प्रत्येक आईटम की बोली पृथक—पृथक लगवाई जावेगी।

6. रद्दी मौके पर जैसी है उसी हालत में विक्रय की जावेगी। रद्दी जिला न्यायालय के अभिलेखागार में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।

7. नीलामी में सफल खरीददार को विक्रय किया जाने वाला माल तोलने के पष्चात विक्रय राषि उसी दिन इस कार्यालय के कैशियर को जमा करवानी होगी। रकम जमा करवाने के पश्चात ही माल सुपुर्द किया जावेगा।

8. अधिकतम नीलामी बोलीदाता के पक्ष में नीलामी स्वीकार करना/न करने/स्थगित करने/तिथि आगे बढाने का पूर्ण अधिकार नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

9. खरीददार को रद्दी गोदाम से निकालने से लेकर उसकी भराई, तुलाई, लदान आदि मजदूरी का समस्त व्यय स्वंय वहन करना होगा।

10. सफल बोलीदाता अगले 7 कार्य दिवस में रद्दी तुलवाकर उठवा लेगा अन्यथा उसके द्व ारा जमा की गई समस्त राशि जब्त कर ली जावेगी।

11. रद्दी/अखबार की विक्रय राशि पर नियमानुसार यदि कोई कर/वेट देय होगा तो उसके जमा का भार बोलीदाता (क्रय करने वाले) पर होगा।

12. खरीददार को यह प्रमाण–पत्र देना होगा कि रद्दी का प्रयोग लुग्दी बनाने में ही किया जावेगा। न्यायालय परिसर से संग्रहण/संधारण/उपचार स्थल तक सुरक्षित परिवहन कर ले जाई जावेगी ताकि न्यायिक अभिलेख इधर–उधर फेलने व बिखरने से बच सके।

13. रद्दी की न्यूनतम दर नीलामी के समय तय की जावेगी।

14. किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम होगा व क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायक्षेत्र रहेगा।

अध्यक्ष,
रद्दी नीलामी समिति
पोक्सो एक्ट प्रकरण न.2 अजमेर

क्रमांकः– 132 दिनांकः– 26/08/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/आवष्यक कार्यवाही/प्रचार प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित हैः–

1. समस्त जिला एवं सेशन अजमेर न न्यायाधीश.....
2. संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर, अजमेर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, अजमेर/सचिव, यूआईटी, अजमेर/कोष–कार्यालय, अजमेर
3. सिस्टम ऑफिसर जिला न्यायालय अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा का प्रकाशन जिला न्यायालय, अजमेर की वेबसाईट पर करावें।
4. अजमेर न्यायक्षेत्र के समस्त न्यायालय
5. प्रभारी अधिकारी, संस्थापन शाखा/अभिलेखागार, जिला न्यायालय, अजमेर
6. कैशियर, जिला न्यायालय, अजमेर
7. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, अजमेर
8. समस्त रद्दी व्यवसायीगण
9. सहायक नाजिर को बाजार में चस्पा करवाने हेतु।

अध्यक्ष,
रद्दी नीलामी समिति
पोक्सो एक्ट प्रकरण न. 2 अजमेर